



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर.-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

Mine Code: 38RAJ01001

संख्या : RAJ/AJM-89/LST-01-Vol-V

दिनांक : 05.12.2022

प्रेषित : खान एजेंट, श्योपुरा केसरपुरा चूना पत्थर खान,
मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, बांगड नगर, ब्यावर,
जिला-अजमेर (राजस्थान), 305901

(E-mail: shreebwr@shreecement.com, garg.mahendra@shreecement.com)

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Sheopura Kesarpura Limestone Mine** (ML No. 24/97, Lease area 856.8 Hect.) situated in Ajmer Distri of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 15.10.2022 by undersigned in presence of Sh. T. K. Dhelawat, Mine Manager & Sh. Jyotirmay Thada, Geologist:

| Rule No. | Nature of violation observed in detail |
|------------|--|
| Rule 11(1) | The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modifictaion of Review of Mining Plan (Approved on 01.10.2019): - 1) During the year 2021-22, Backfilling was proposed over an area of 0.5 hect. but actual backfilling has been carried out over 0.3 hect. area. 2) During the year 2021-22, Plantation over backfilled area was proposed oven an area 0.5 hect.(600 nos. saplings) but actual plantation over 0.25 hect. backfilled area (400 nos. saplings) has been carried out. 3) No propper terracing of waste dump no. 3 has been carried out. |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :


(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय


5/12/2022

(डी. आर. गुजर)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, ब्यावर, जिला-अजमेर (राजस्थान)।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो